

114



निगरानी 370-I-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म००

विनोद नोगरिया तनय स्व० हरीदास नोगरिया
निवासी- सुखलाना मुहल्ला हतरपुर -- निगरानीकर्ता

॥ विद्वा ॥

श्रीमति गायत्री देवी पत्नि जगत नारायण रूसिया , वंगरह
निवासी- गल्ला मंडी रामचरित्र मानस मसन के पास हतरपुर
-- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०००००रा०सं० 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानी कर्ता न्यायालय श्रीमान
अतिरिक्ततसीलदार हतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक -
9-6-014 से परिवेदित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों
पर अपनी यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

में तथा उस प्रकार है कि

(Handwritten signature)

(Handwritten notes in left margin)
निगरानी
अंतर्गत
धारा 50
म०००००रा०सं०
1959

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-370-एक/2015

जिला-छतरपुर

विनोद नौगरिया विरुद्ध श्रीमती गायत्री देवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार छतरपुर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 28/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 09-06-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10-10-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>